**<u>न्यायालय सिविल जज ( अवर वर्ग) / एफ. टी. सी. , 14 वाँ वित्त आयोग, मैनपुरी।</u>**

अ. स. - 14/ 2026

धारा - 281,125 बी, बी. एन. एस. ।

थाना- एलाऊ, जिला- मैनपुरी।

**राज्य बनाम चालक अज्ञात UP16 BM/ 8924 ।**

**<u>दिनांक:- 03. 06. 2026</u>**

1. प्रार्थी कमलेश पुत्र पुत्र पंक्षीलाल की ओर से अपराध संख्या- 14/ 2026 धारा- 281,125 बी, बी. एन. एस. , थाना- एलाऊ, जिला- मैनपुरी में थाने पर निरूद्ध मोटर साइकिल ,संख्या- UP84AK4846 एवं चेसिस संख्या- MBLJAW147MHB22922 को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि मोटर साइकिल नंबर UP84AK4846 का स्वामी है तथा उपरोक्त मुकदमें का वादी है। दोषी वाहन कार नंबर UP16 BM/ 8924 के चालक द्वारा प्रार्थी की मोटर साइकिल व प्रार्थी के टक्कर मार दी थी,जिससे मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त हो गयी थी तथा प्रार्थी गम्भीर रूप से घायल हो गया था। प्रार्थी के वाहन के सभी कागजात वैध व पूर्ण हैं। वाहन का तकनीकी परीक्षण हो चुका है। वाहन थाना हाजा पर खड़े रहने से और खराब होने की पूर्ण सम्भावना है,इसलिए वाहन के थाना हाजा पर खड़े होने के संबंध में आख्या मंगाई जाकर मोटर साइकिल उपरोक्त को प्रार्थी के हक में रिलीज किया जाना अति आवश्यक है।

3. थाने की आख्या के अनुसार प्रश्नगत वाहन थाना हाजा पर दाखिल है , जिसका तकनीकी निरीक्षण किया जा चुका है तथा धारा 203 ए एम. वी. एक्ट की कार्यवाही भी पूर्ण की जा चुकी है ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपनी आख्या के माध्यम से उल्लिखित किया है कि वाहन माल मुकदमाती है । उन्मुक्ति का विरोध है ।

5. प्रार्थना पत्र के निस्तारण पर सुना एवं प्रपत्रो का अवलोकन किया।

6. अभियोजन एवं थाने की आख्यानुसार प्रश्नगत वाहन थाने पर निरूद्व है। आवेदक की ओर से अपने कथनो के समर्थन में आर. सी. , बीमा, ड्राईविंग लाइसेंस एवं आधार कार्ड की छायाप्रति को दाखिल किया गया है। प्रपत्रो के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन आवेदक के पक्ष में पंजीकृत है। अन्य किसी की ओर से सुपुर्दगी हेतु दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। **विधि व्यवस्था सुन्दर लाल देसाई वनाम गुजरात राज्य 2013 ( 1) जे. आई. सी. 615** में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि गाडियाँ थाने में खडी रहने से राष्ट्रीय क्षति होती है प्रश्नगत वाहन के निरूद्व रहने से खराब होने का अन्देशा है एंव थाने पर निरूद्व रहने से कोई लाभप्रद उपयोग नही है एंव थाने

पर खड़े रहने से उसकी उपयोगिता नष्ट होने की सम्भावना है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत वाहन प्रार्थी/ पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आधार पर्याप्त है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थी/ आवेदक कमलेश पुत्र पंक्षीलाल का प्रार्थना- पत्र स्वीकार किया जाता है । सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि मोटर साइकिल संख्या- UP84AK4846 एवं चेसिस संख्या- MBLJAW147MHB22922 को प्रार्थी के पक्ष में निम्न शर्तों पर सुपुर्द करें ।

i. प्रार्थी/ पंजीकृत स्वामी द्वारा मुव० 70,000/ - ( सत्तर हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंध- पत्र तथा इसी राशि की एक प्रतिभू स्वयं अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगी।

ii. कार्यवाही के दौरान पंजीकृत स्वामी उक्त वाहन का न तो विक्रय करेगा और न ही उसके भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन करेगा तथा उक्त वाहन को पुलिस या न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर उसे न्यायालय के समक्ष अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगी ।

iii. पंजीकृत स्वामी उक्त वाहन से सम्बन्धित अभिलेखों की तीन छायाप्रतियाँ दाखिल करेगा।

iv. प्रार्थी उपरोक्त वाहन के सम्बन्ध में यदि कोई अन्य व्यक्ति दावा प्रस्तुत करती है तो प्रार्थी न्यायालय के आदेश पर अविलम्ब यथावर्णित समय व स्थान पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा एवं वाहन के कलर, फोटो अपने खर्चे पर तैयार कराकर विवेचक को उपलब्ध कराएगा, जिसे विवेचक केस डायरी में शामिल मिसिल करेंगे ।

तद्नुसार थानाध्यक्ष एलाऊ, मैनपुरी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत वाहन, यदि किसी अपराध में वांछित न हो तथा वाहन के इंजन नं. , चैसिस नं. एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करके तथा बरामद वाहन की फोटो खींचकर पंचनामा कर सुरक्षित रखें, जो साक्ष्य के स्तर पर उपयोग होगा तथा स्वामित्व के बिन्दु पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही बरामद वाहन वादी मुकदमा की उचित पहचान कर उसके पक्ष में अवमुक्त करेंगे ।

( ऋषभ चतुर्वेदी )

प्रभारी, सिविल जज ( अवर वर्ग) / एफ. टी. सी. ,

14 वां वित्त आयोग, मैनपुरी ।